न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 58 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं. :2025 / 66

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री नगीन लाल पुत्र श्री लाल चन्द्र निवासी छोटा डूंगरा, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– नगीन लाल लालचन्द किराणा, मेंन चौराहा छोटा डुंगरा, बांसवाडा (राज) मो. नं. 7426068100
2. (विक्रेता / मालिक) **M/S H K Traders, Shop No-517, Yes Market Dahod** 389151 मो. नं. 6354999785, 9998131530
3. (विक्रेता / मालिक) **M/S Dhanlaxmi Traders, 1/laxmanbhai Estate,Opp-Revabhai Estate, CTM-Sureliya Road, CTM Ahmedabad, Gujarat Mob. No. 9429520002, 9727920002**
4. (विक्रेता / मालिक) **Barot ankit hashmukhlal S/O Hasmukhbhai, 43 Swapna Sanket Society, Vatva, Deriya Vas, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382440 M/S Sarthak Food Product, Plot No-55 Nakshatra industrial Hub, Village Bakrol Bajrang Tal Dascrol, Ahmedabad 382430 Mob. No.9924951148**
5. (नेमिनी) **M/S Sarthak Food Product, Plot No-55 Nakshatra industrial Hub, Village Bakrol Bajrang Tal Dascrol, Ahmedabad 382430 Mob. No.9924951148**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–12–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **24–09–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **25–09–2024** को 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स नगीन**

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लाल लालचन्द किराणा, मेंन चौराहा छोटा डुंगरा, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नगीन लाल पुत्र श्री लाल चन्द्र उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स नगीन लाल लालचन्द किराणा, मेंन चौराहा छोटा डुंगरा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत) 200 एम.एल पैकिंग के 30 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत) के 200 एम.एल के 4 डिब्बे कुल 800 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 360/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत) के 800 एम.एल के 4 डिब्बो के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1910** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी ख़ाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी ख़ाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/451 दिनांक 18–10–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1103 दिनांक 07–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1910 Unsafe** पाया गया। **उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा एफ.एस. एस.ए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील**

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की गयी जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 1540F/FSSA/2024 दिनांक 21.02.2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard होना पाया गया।

फर्म के मालिक **श्री नगीन लाल पुत्र श्री लाल चन्द्र निवासी छोटा डूंगरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– नगीन लाल लालचन्द किराणा, मेंन चौराहा छोटा डुंगरा, बांसवाडा (राज)** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** का अग्रिम माल खरीद बिल **M/S H K Traders, Shop No-517, Yes Market Dahod** का बिल प्रस्तुत किया। **M/S H K Traders, Shop No-517, Yes Market Dahod** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** का अग्रिम माल खरीद बिल **M/S Sarthak Food Product, Plot No-55 Nakshatra industrial Hub, Village Bakrol Bajrang Tal Dascrol, Ahmedabad** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24–09–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17–11–2025 को अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 स्वयं, अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अधिकृत श्री अंकुश गुप्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर राहत दिलाने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2024/451 दिनांक 18–10–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1103 दिनांक 07–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1910 Unsafe** पाया गया। **उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा एफ.एस.एस.ए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गयी जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 1540F/FSSA/2024 दिनांक 21.02.2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard होना पाया गया।** प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **घी (वचनामृत)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्व घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री नगीन लाल पुत्र श्री लाल चन्द्र निवासी छोटा डूंगरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– नगीन लाल लालचन्द किराणा, मेंन चौराहा छोटा डुंगरा, बांसवाडा (राज) को रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), (विक्रेता/मालिक) M/S H K Traders, Shop No-517, Yes Market Dahod को रूपये 10000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), M/S Dhanlaxmi Traders, 1/laxmanbhai Estate,Opp-Revabhai Estate, CTM-Sureliya Road, CTM Ahmedabad, Gujarat को रूपये 10000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), Barot ankit hashmukhlal S/O Hasmukhbhai, 43 Swapna Sanket Society, Vatva, Deriya Vas, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382440 M/S Sarthak Food Product, Plot No-55 Nakshatra industrial Hub, Village Bakrol Bajrang Tal Dascrol, Ahmedabad को रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09—12—2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner